संसद के समक्ष अभिभाषण – 12 मार्च 1962

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

आपके सम्मुख इस संसद में कुछ कहने का मेरे लिए यह अंतिम अवसर है। लोक सभा के माननीय सदस्यगण, इस सदन की आपकी सदस्यता की पंचवर्षीय अवधि अब समाप्त होने को है। शीघ्र ही आपके इस सत्र की समाप्ति के बाद नयी लोक सभा की बैठक होगी। आपमें से बहुतों को देश सेवा के लिए फिर से चुन लिया गया है। आपमें से कुछ इस चुनाव तथा लोक सभा की समाप्ति के बाद नयी लोक सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और लोक सभा के सदस्यों की हैसियत से आपके द्वारा की गई सेवाओं के लिए देश की जनता की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि यहां से जाने के बाद जहां भी आपका कार्यक्षेत्र हो, आप देशनिर्माण के काम में लगे रहेंगे और अपनी योग्यता तथा अनुभव का सदा ही अपने देश की जनता के हितार्थ उपयोग करते रहेंगे।

संसद के माननीय सदस्यगण, जब मैंने पिछली बार आपको सम्बोधित किया था, तब अपने अधिक व्यापक दृष्टिकोण तथा उच्चतर लक्ष्यों के साथ हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी। अब यह योजना चालू की जा चुकी है। पहली योजनाओं से प्राप्त अनुभव और उससे उत्पन्न हुए उत्साह और राष्ट्रनिर्माण के काम में योजनागत प्रयास के संबंध में अधिक देशव्यापी बोध और अधिमूल्यन—ये सब बातें इस योजना की सफलता की द्योतक हैं और हमें अपने निर्धारित उद्देश्य के निकट ले जाने वाली हैं। हमारा उद्देश्य ऐसी समर्थ अर्थव्यवस्था की प्राप्ति है, जिसमें स्वावलम्बन, अभिवृद्धि और अधिक भावी विकास के साधनों को पैदा करने की क्षमता हो।

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास* तथा केरल में बाढ़ों द्वारा जो भारी नुकसान हुआ, उसके बावजूद 1961-62 में होने वाली खेती की पैदावार उत्साहवर्धक है। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती की उन्नति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारा उद्देश्य केवल अनाज में आत्मनिर्भर होना ही नहीं है, बल्कि निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा संग्रह करने तथा बढ़ते हुए उद्योगों के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए व्यापारी पैदावार को बढ़ाना भी है।

1960-61 में खेती उत्पादन का इन्डैक्स नम्बर 139.1 हो गया है जबकि 1959-60 में वह 128.7 था। इस तरह इसमें 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में दोनों फसलों का अनाज तथा व्यापारी हिस्सा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष 1955-56 था और उस वर्ष के इन्डैक्स की तुलना में 1960-61 उत्पादन का इन्डैक्स 19.1 प्रतिशत अधिक है।

भूमि के संरक्षण संबंधी उपायों और सूखी खेती के साधनों को अपनाने के फलस्वरूप तीन करोड़ तीस लाख एकड़ भूमि में सुधार होगा। सिंचाई की छोटी योजनाओं से एक करोड़ अट्ठाइस लाख भूमि तीसरी योजना में खेती के योग्य बन सकेगी। मेरी सरकार ने एक उन्नत बीज निगम स्थापित करने का निश्चय किया है, जो अधिक उत्पादन देने वाले और बीमारी का प्रतिरोध करने वाले बीजों के वितरण और बिक्री की व्यवस्था करेगा। बनावटी खाद की मांग उसके उत्पादन से कहीं अधिक है। इसलिए बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद के कई और कारखाने खोले जा रहे हैं। खाद के स्थानीय साधनों और हरी खाद के उपयोग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सात राज्यों के चुने हुए जिलों में भरपूर खेती का कार्यक्रम चालू किया गया है। इस वर्ष सभी राज्यों में फसल उत्पादन आन्दोलन शुरू किये गये हैं, जिनके साथ पंचायतों, सहकारी समितियों और दूसरी ग्रामीण संस्थाओं का गहरा संबंध है। चार नये कृषि कालेज, दो पशु चिकित्सा कालेज और कुछ कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी तीसरी योजना में शामिल है।

उत्पादन और योजनाओं की विभिन्नता की दृष्टि से औद्योगिक पैदावार में भी काफी वृद्धि हुई है। लोहे और इस्पात, मशीनरी, बिजली के सामान और बनावटी खाद की पैदावार में पिछले वर्ष की अपेक्षा महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हमें आशा है कि 1961-62 में लक्ष्यों की प्राप्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होगी।

फिर भी आत्मसन्तोष और प्रयत्नों की ढिलाई के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी बहुत-सी मुश्किलें और कठिनाइयां हैं, जैसे यातायात और कोयले की सप्लाई के संबंध में। निःसंदेह तीव्र आर्थिक विकास ही इन कठिनाइयों का कारण है।

*अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।

योजना में दिये गये कार्यक्रम को कार्यरूप देने के लिए दृढ़ प्रयत्न जरूरी है और यह तभी हो सकता है यदि हम मितव्ययिता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखें और समय तथा प्राथमिकता की सूची का भी ख्याल रखें। ये सब बातें मेरी सरकार के ध्यान में हैं और इन्हीं के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों पर पार पा सकते हैं।

मेरी सरकार ने भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में लोहे के कारखानों के विस्तार तथा बोकारो में कच्चा लोहा और इस्पात का मिला-जुला कारखाना और दुर्गापुर में मिश्रित कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है।

तीसरी योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर हमने नौ करोड़ सत्तर लाख टन किया है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें इस उद्योग का योजनाबद्ध विकास करना है। सार्वजनिक क्षेत्र में अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी और रूस की सहायता से बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है। कोयले के उत्पादन में निजी खंड अपनी विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक द्वारा दिये गये साढ़े तीन करोड़ डालर के ऋण को उपयोग में ला सकेगा।

नेवेली में पिछले वर्ष के अगस्त महीने में लिग्नाइट की परतें दिखाई पड़ी थीं। लिग्नाइट के प्रयोग से चलने वाला पहला बिजली का कारखाना आशा है शीघ्र ही काम करने लगेगा।

गुजरात में अंक्लेश्वर में तेल के उत्तम और लाभदायक साधन प्राप्त हुए हैं। नूनमाटी में तेलशोधक कारखाना इस वर्ष जनवरी में चालू हो गया था। इसके अतिरिक्त बीस लाख टन क्षमता का ऐसा कारखाना गुजरात में स्थापित करने की योजना है।

आयात में कमी और निर्यात में कुछ वृद्धि के कारण गत बारह महीनों की अपेक्षा हम अपने व्यापार संबंधी घाटे को 364 करोड़ से घटाकर 218 करोड़ कर सके हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में अपने सतत् प्रयत्नों के फलस्वरूप मेरी सरकार निर्यात वस्तुओं की सूची में नयी चीजें जोड़ सकी है और नयी मंडियां ढूंढ सकी है। निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नये प्रोत्साहन भी दिये हैं। यद्यपि गत वर्ष निर्यात व्यापार से वृद्धि केवल 34 करोड़ रुपये की ही हुई है, इस बात से हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमारे व्यापार संतुलन का रुख अब अनुकूल है।

औद्योगिक संबंधों के सुधार के लिए 1958 में ऐच्छिक आधार पर जो अनुशासन नियमावली बनाई गई थी उसका अधिकाधिक पालन किया जा रहा है, और इससे बहुत से ऐसे झगड़ों का निपटारा किया जा सका जो अन्यथा किसी एक पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही का कारण बन सकते थे। ऐच्छिक आधार पर औद्योगिक कारखानों में जो सम्मिलित प्रबंध समितियां स्थापित की गई थीं उनके काम से यह प्रमाणित होता है कि पूर्ण विचार-विमर्श से औद्योगिक संबंधों में सुधार और उत्पादन में वृद्धि होती है।

प्रगतिशील खेती और ग्राम सुधार के लिए पंचायती राज और सहकारिता की उन्नति और विकास अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप आठ राज्यों में ग्राम स्वशासन का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है और अनुमान है कि देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या इस सुधार के अंतर्गत आ गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेरी सरकार ने 6 से 11 साल तक की उम्र के सब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की है। यह संख्या देश के कुल स्कूल जाने वाले लड़कों का 90 प्रतिशत और लड़कियों का 62 प्रतिशत है और 6–11 आयु के कुल बच्चों की संख्या का 76 प्रतिशत है। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी को अनिवार्य बनाने के लिए राज्यों की सरकारों को विधान स्वीकृत करने का सुझाव दिया जायेगा।

तिरुपति में केन्द्रीय संस्कृत परिषद् से आशा है कि आगामी वर्षों में संस्कृत के अध्ययन का विस्तार होगा। यह परिषद् संस्कृत साहित्य से संबंधित विशेष विषयों में अनुसंधान भी करेगी।

इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की मांग बराबर बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिए मौजूदा संस्थाओं का विस्तार और देश के विभिन्न भागों में नयी संस्थाओं का स्थापन किया जायेगा।

गरीब, किन्तु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सहायता के लिए बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।

छूत की बीमारियों के उन्मूलन के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राथमिकता देना मेरी सरकार की नीति है। इसके परिणामस्वरूप मलेरिया का लगभग उन्मूलन हो चुका है और क्षय रोग तथा गुप्तेन्द्रिय रोगों पर व्यापक नियंत्रण किया जा सका है। देश भर से चेचक के उन्मूलन के कार्यक्रम को भी मेरी सरकार ने हाल ही में चालू किया है।

अभी तक हमारे अधिकांश ग्रामों में पीने के शुद्ध पानी की जो कमी है, उसे दूर करने के लिए स्वीकृत ग्रामीण योजनाओं का 50 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में और शहरी इलाके में 100 प्रतिशत तक ऋण के रूप में सरकारी सहायता के तौर पर दिए जायेंगे।

सिंचाई की व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नर्मदा योजना द्वारा, जो 43 करोड़ रुपये की है और जिसका उद्घाटन अप्रैल, 1961 में किया गया था, 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और उससे 5 लाख किलोवाट बिजली प्राप्त होगी।

राजस्थान नहर व्यवस्था की पहली नहर का उद्घाटन उप–राष्ट्रपति ने गत अक्तूबर में किया था। जब यह नहर पूर्ण हो जायगी और प्रयोग में आने लगेगी, इसके द्वारा राजस्थान की मरुभूमि भारत के सबसे बड़े धान्यागार में परिवर्तित हो जायेगी।

मालदा होकर सिलीगुड़ी तक बड़ी लाइन के निर्माण से कलकत्ता* और उत्तरी बंगाल में फिर से रेल संबंध स्थापित हो गया है, जो विभाजन के कारण टूट गया था। पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में चालू 700 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हो गया है।

गत वर्ष दो महत्वपूर्ण शताब्दियां राष्ट्रीय पैमाने पर मनाई गईं। टैगोर शताब्दी के संबंध में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी में विश्वभर के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भाग लिया। सभी राज्यों की राजधानियों में टैगोर रंगमंच की स्थापना इस शताब्दी कार्यक्रम का अंग है।

भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी अपनी शताब्दी मनाई और उसके द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एशियाई पुरातत्व सम्मेलन ने संसार के विभिन्न भागों से विद्वानों को आकृष्ट किया। दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी ने हमारी सभ्यता के अटूट ऐतिहासिक क्रम को लोगों के सामने चित्रित किया और हमारे अतीत को खण्डहरों और जीर्ण अवशेषों की कहानी न बताकर उसे राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा के स्रोत का रूप दिया।

चीन के साथ भारत के उलझे हुए संबंध अभी तक सुलझे नहीं हैं। अधिकारियों की रिपोर्ट, जो मेरी सरकार ने 1961 में संसद के सामने रखी थी, अभी तक चीन में प्रकाशित नहीं हुई है।

1954 की हिन्द-तिब्बती संधि की अवधि 2 जून, 1962 को समाप्त होती है। चीनी लोकतन्त्र सरकार ने इस संधि के स्थान पर नई संधि के लिए बातचीत का सुझाव भेजा है। इसके उत्तर के रूप में मेरी सरकार ने उनसे आग्रह किया है कि हमारे पड़ोसी अपनी आक्रमणात्मक नीतियों को छोड़ दें जिससे कि पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर शांति का वातावरण फिर से स्थापित किया जा सके।

जैसा कि संसद को विदित है, कांगो में संकट के समय, मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की सहायता के लिए पर्याप्त सैनिक दल भेजने का निश्चय किया था, यद्यपि ऐसा करना हमारे लिए भार-स्वरूप था और अभी भी है। हमारे सैनिकों और अफसरों ने उल्लेखनीय वीरता, अनुशासन, संयम और सबसे बढ़कर सद्भावना का परिचय दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने ही नहीं बल्कि सभी देशों के नागरिकों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। निजी आवश्यकताओं की दृष्टि से हम इन सैनिकों को घर वापस बुलाना चाहेंगे, किन्तु मेरी सरकार महसूस करती है कि वे आवश्यक काम जिनके लिये भारतीय सैनिक बाहर भेजे गये थे, अभी अधूरे रहते हैं और इसलिए जो सहायता हमने दी है उसे जारी रखना मेरी सरकार ने मंजूर किया है, यद्यपि हमारे जवानों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है जो लोग बहुत समय से अफ्रीका में हैं, उनकी बदली के लिए मेरी सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं। मेरी सरकार को इस बात से भी संतोष हुआ है कि इस मामले में पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच संयुक्त राष्ट्र में सहयोग के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे हैं।

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

मेरी सरकार के लिए यह भारी संतोष और सुख का विषय है कि अल्जीरिया में स्वाधीनता के आधार पर समझौते की ओर कदम उठाये गये हैं। हिंसा के कारण वहां जान का भारी नुकसान हो रहा है और उससे मेरी सरकार को बहुत क्षोभ हुआ है और इसीलिए वह अल्जीरिया और दि-गौल के पारस्परिक प्रयत्नों के सफल परिणाम की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। मेरी सरकार बार-बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि शांतिपूर्ण समझौते का एकमात्र आधार अल्जीरियन लोगों की स्वाधीनता है और स्थायी शांति अहिंसात्मक शांतिपूर्ण उपायों द्वारा ही स्थापित हो सकती है।

भारत को 18-राष्ट्र नि:शस्त्रीकरण समिति का सदस्य चुना गया है। जिन नीतियों का इस समझौते में अनुसरण किया जायेगा, और इस दिशा में हमने अभी तक जो योगदान दिया है उससे परिस्थितियों के सुलझने में सहायता मिलेगी, एक शांतिपूर्ण देश के रूप में और संसार में शांति के लिए उत्सुक क्षेत्रों के विस्तार में, सम्भव है, हम इस समझौते में भाग लेकर शांतिपूर्ण समझौते और पारस्परिक मेल-मिलाप की भावना को बढ़ावा दे सकें, इस आशा से मेरी सरकार ने इस कठिन दायित्व को स्वीकार किया है। इस बीच में मेरी सरकार सभी दिशाओं में संसार भर में तनाव की भावना को कम करने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी। मेरी सरकार को आशा है कि नि:शस्त्रीकरण संबंधी बातचीत, कठिनाइयों के बावजूद, हमें युद्ध-विहीन विश्व की ओर ले जायेगी, जो हमारा ध्येय और नीति है।

जिनेवा में होने वाले लाओस संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग में मेरी सरकार बराबर भाग ले रही है। हम बराबर इस नीति को अपनाते रहे हैं कि लाओस की समस्या को राष्ट्रीय स्वाधीनता और वहां के लोगों तथा सरकार को सभी सम्बद्ध राष्ट्रों द्वारा आश्वस्त तटस्थता की नीति का अवलम्बन करने की पूर्ण स्वाधीनता के आधार पर सुलझाया जा सकता है। यद्यपि यह समस्या अभी हल करनी रहती है, इस बात के लक्षण दिखाई देते हैं कि सुविख्यात राजनीतिज्ञ राजकुमार सुबन्नफूल के प्रधानमंत्रित्व में इन सिद्धांतों के आधार पर लाओस सरकार का निर्माण किया जा सकेगा। शांति के हित में हम वियतनाम और कम्बोडिया के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग में बराबर भाग लें रहे हैं।

मेरी सरकार गाजा में संयुक्त राष्ट्रीय आपातकालिक सैन्यदल में भी भाग ले रही है। इस दल में एक भारतीय टुकड़ी भी शामिल है।

स्वाधीन राष्ट्रों की पंक्ति में हम कई एक अफ्रीकी देशों का स्वागत करते हैं, जिनमें भूतपूर्व फ्रेंच कलोनियल अफ्रीका के बहुत से राज्य, भूतपूर्व अंग्रेजी भूभाग सीरात्योन और ब्रिटिश शासनाधिकार में भूतपूर्व मैंडेटेड टेरेटरी टांगानीका शामिल हैं।

हमने सीरिया, सेनेगल और टांगानीका में अपने राजनयिक प्रतिनिधि नियुक्त किये हैं और कुवैत तथा उत्तर-दक्षिण कोरिया के साथ, जिनके प्रतिनिधि हमारे देश का दौरा कर चुके हैं, व्यापार संबंध स्थापित किये हैं।

स्वाधीन राष्ट्र के रूप में हम पश्चिमी सामोआ के उदय का स्वागत करते हैं। अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में मेरी सरकार ने सोवियत संघ के साथ संधि की है।

सोवियत संघ के राष्ट्रपति, मलाया के सम्राट और साम्राज्ञी, नेपाल के सम्राट महेन्द्र, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फ्रोंडिजी, पोलैंड के राष्ट्रपति जबदस्की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त अरब राष्ट्र के उपराष्ट्रपति, डेनमार्क, हंगरी, जापान, ट्रिनीदाद और बर्मा* के प्रधानमंत्रियों ने भारत की यात्रा की और हमारे प्रधानमंत्री के साथ पारस्परिक हितों पर विदेश मंत्री के साथ विभिन्न विषयों के संबंध में बातचीत की। फ्रांस के परराष्ट्रमंत्री और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी भारत आये और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से बातचीत की।

हिन्द-पाकिस्तान के संबंधों में सुधार के लक्षण दिखाई नहीं दिये हैं। हमने पाकिस्तान सरकार के साथ "युद्ध नहीं" संधि पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दोहराया। हाल में पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा परिषद् से कश्मीर के प्रश्न पर विवाद करने के लिए प्रार्थना की, यद्यपि उन्होंने अपनी सेनाओं को हटा लेने और युद्ध-बंदी रेखा के दूसरी तरफ हिंसात्मक गतिविधि बन्द करने और कश्मीर के अन्दर शांति-विरोधी शक्तियों की सहायता न करने संबंधी उन समझौतों पर अमल किया है और न उनके प्रति कोई आदर दर्शाया है। किन्तु सुरक्षा परिषद् ने पाकिस्तान की प्रार्थना पर विचार स्थगित रखा है।

जैसा कि संसद जानती है, 14 वर्षों तक धैर्यपूर्ण बातचीत और प्रतीक्षा के बाद, हमारे देश की भूमि पर स्थापित पुर्तगाली उपनिवेशवाद की समस्या को सुलझाने का पुर्तगाल के मित्रों को पूर्ण अवसर दे चुकने के बाद, भारत सरकार को शांति के हित में, भारत की एकता के हित में और देश में अरोध्य जनमत के अनुसार देश की भूमि पर पुर्तगाली उपनिवेशवाद का अन्त करने के लिए, कार्यवाही करनी पड़ी। पुर्तगाल द्वारा नग्न हिंसा जिसमें हमारे व्यापारी बेड़े पर गोली चलाना, हमारे देशवासियों की हत्या करना और हमारी भूमि पर आक्रमण करना भी शामिल है, इन कार्यवाहियों के कारण वह समस्या भड़क उठी। यद्यपि कुछ देशों ने भ्रांतिपूर्ण आलोचना की है, फिर भी संसार के अन्य राष्ट्रों ने हमारी कार्यवाही की प्रशंसा की है, और निश्चय ही सब देशों की जनसंख्या ने पुर्तगाली उपनिवेशवाद का संसार के कम से कम एक भाग में अन्त का स्वागत किया है।

आप सब संसद सदस्यों के समान ही मुझे भी इस बात की खुशी है कि गोवा-संबंधी कार्यवाही लगभग रक्तपात के बिना, और जहां तक वहां की गैर-सैनिक जनसंख्या का संबंध है, जिसमें हमारे देशवासी और अन्य लोग भी शामिल हैं, पूर्णरूप

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

से हिंसा के बिना, की जा सकी। गोवा पर सिविल कानून के अंतर्गत मिलिट्री गवर्नर का शासन है और भारतीय संघ के अविभाज्य अंग के रूप में उन भूभागों की स्थिति को वैधानिक रूप देने के लिए संसद के इस सत्र के सामने एक विधेयक रखा जायेगा। हमने गोवा की जनता और संसार को बार-बार आश्वासन दिया है कि ऐतिहासिक कारणों से जो विशेषता इस प्रदेश को प्राप्त है, उसका हमारे संविधान के मौलिक तत्वों की सीमा में सदा आदर किया जाएगा और जो भी परिवर्तन हो वह रचनात्मक तथा निर्विघ्न होगा। पहले के पुर्तगाली उपनिवेश के लोगों को हमारे संविधान के आधारभूत अधिकारों और मौलिक सिद्धांतों के अनुसार संरक्षण प्राप्त है। मेरी सरकार इस विषय पर इसी संसद के इसी सत्र में एक विधेयक पेश करना चाहती है।

मेरी सरकार ने भूटान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में सत्रह करोड़ रुपये की सहायता देना स्वीकार किया है। स्वयं भूटान की सरकार के तथा सीमा-सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यातायात को सबसे प्रमुख स्थान मिल रहा है। आशा की जाती है कि इस वर्ष भूटान में मोटर यातायात स्थापित करना सम्भव होगा। मेरी सरकार को इस बात से खुशी है कि इन सभी विकास कार्यों में भूटान की सरकार ने पहल की है जिसमें मेरी सरकार पूरा सहयोग दे रही है।

आर्थिक चालू वर्ष 1962-63 के लिए भारत सरकार का अनुमानित आय-व्यय का ब्यौरा इस वर्ष के एक भाग के व्यय का अधिकार देने के लिए आपके सामने पेश किया जायेगा।

संसद का यह अधिवेशन बहुत ही छोटा होगा और इसलिए केवल आवश्यक विधान ही इस सत्र में हाथ में लिया जायेगा। कुछ अध्यादेश जो पिछले सत्र के बाद जारी किये गये थे, संसद के सामने रखे जायेंगे।

आम चुनाव अब पूरे हो चुके हैं। संसद के माननीय सदस्यगण, मैं भी आपकी खुशी में अपनी प्रसन्नता की यह ध्वनि मिलाना चाहूंगा कि इतना बड़ा मताधिकार शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार संपन्न हुआ है। हमने अपने लिये एक उदाहरण स्थापित किया है और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली में संसार की आस्था को बढ़ाया है।

चुनाव के परिणामस्वरूप मेरी सरकार को अपनी आन्तरिक तथा विदेश नीतियों के प्रति विशेष विश्वास प्राप्त हुआ है और इस बात का उसे फिर से अधिकृत आदेश मिला है कि दूर गांवों में भी आम चुनावों के आधार पर जनतंत्रात्मक पद्धति के द्वारा लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के लिए फिर से वह कठिन अध्यवसाय के साथ और तेजी से प्रयत्नशील हो ताकि लोकतन्त्र एक वास्तविकता बन जाये। राष्ट्रीय एकता और तटस्थ नीति द्वारा विश्वशांति, शांतिपूर्ण और आस्था जो लोगों ने मेरी

सरकार के प्रति और उसकी आन्तरिक विदेश नीति के प्रति, जिसे अनेक बार संसद का समर्थन प्राप्त हो चुका है और चुनाव से पहले जिसका देशव्यापी विवेचन हो चुका है, सरकार की नीतियों को सुदृढ़ बनाती है और इसके द्वारा मेरी सरकार पर राष्ट्रीय आदेश के रूप में यह दायित्व आता है कि वह दृढ़ता से इन नीतियों को कार्यान्वित करे।

संसद के माननीय सदस्यगण, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे विश्वास है कि आपमें से जो लोग पुनः संसद सदस्य के रूप में यहां नहीं आयेंगे, वे राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य में लगे रहेंगे। यह कार्य हमारे जनतन्त्र की प्रगति, समाजवादी समाज के निर्माण तथा संसार में शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है। आप में से जिन्हें इन वैधानिक प्रवृत्तियों को चालू रखने के लिए जनमत का आदेश मिल गया है, वे अपने कठिन किन्तु रचनात्मक और राष्ट्र-निर्माण के फलदायी प्रयास को जारी रखने के लिए उन्हीं के साथ शामिल हो जायेंगे जो पहली बार संसद में आ रहे हैं।

थोड़े ही समय बाद एक नई संसद का उद्घाटन होगा और पूर्व वर्षों की तरह ही किन्तु नवीन उत्साह और नवोदित शक्ति के साथ आप तथा वे सभी हमारे संविधान के मौलिक सिद्धांतों की स्थापना और उन्हें अधिकाधिक कार्य रूप देने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।

वे मौलिक सिद्धांत इस प्रकार हैं:—

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता;

सभी नागरिकों के बीच भ्रातृभाव को प्रोत्साहन जिसके द्वारा

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की

एकता सुनिश्चित हो।

ये सिद्धांत अपने पूर्ण अर्थों समेत हाल के शिक्षाप्रद और महान चुनावों के समय मेरी सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के सामने रख दिये गये थे।

आप जहां भी हों, मैं आपकी सफलता और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।